NCRES

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

R. P. Singh
Gen. Secretary
&
Joint Gen. Secretary-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony
Sulem Sarai, Prayagraj - 211011
P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No : 188/NCRES/71/76/23 Date : 19.9.2023

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः– प्रयागराज मण्डल में इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत ट्रैकमैनो को 10% इनटेक कोटे के तहत अन्य विभागो में समावेश/स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– (1) RBE 146/2018 दिनांक 20.9.2018
(2) उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कार्यवाही कर कार्मिक विभाग आगरा मण्डल का पत्र संख्या पी/आगरा/गोप./2019/05 दिनांक 26.02.2020
(3) उपरोक्त विषय में कार्यवाही कर कार्मिक विभाग झांसी मण्डल का पत्र संख्या पी/विविध/10 प्रतिशत कोटा/पी.एम.यू. दिनांक 22.6.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या RBE 146/2018 दिनांक 20.9.2018 के द्वारा इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत ट्रैकमैनो को 10% इनटेक कोटे के तहत अन्य विभागो में समावेश/स्थानान्तरण किये जाने में ट्रैकमैनो की कमी के कारण हो रही दिक्कतो को देखते हुये आदेश जारी किया था कि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा उन विभागो की 10% वैकेन्सी जोड़ कर इन्डेन्ट किये जाय, जिनमें इंजीनियरिंग विभाग से 10% कोटे के तहत जाने का प्रावधान है एवं इसी के साथ जिन विभागो में ऐसे स्थानान्तरण/समावेश का प्रावधान है वे केवल अपनी वैकेन्सी का 90% ही इन्डेन्ट करेगें एवं 10% इनटेक इंजीनियरिंग विभाग से लेगें।

रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुपालन में आगरा एवं झांसी मण्डलो में अन्य विभागो में ट्रैकमैनो के 10% इनटेक की प्रकिया वर्ष 2020 में ही कर ली गयी परन्तु खेद का विषय है कि रेलवे बोर्ड से जारी RBE No. 146/2018 के पांच वर्ष बाद भी प्रयागराज मण्डल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आज तक इसका अनुपालन नही किया गया है जिससे प्रयागराज मण्डल के ट्रैकमैनो में असंतोष व्याप्त है।

NCRES का अनुरोध है कि RBE No. 146/2018 के तहत प्रयागराज मण्डल में कार्यरत ट्रैकमैनो को 10% कोटे के तहत अन्य विभागो में समावेश/स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया अविलम्ब शुरू करने के लिये उचित निर्देश जारी किया जाय ताकि कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को रोका जा सके, और की गई कार्यवाही से NCRES को अवगत कराया जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि : (1) प्रधान मुख्य इंजीनियर, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज
(2) प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज